

विधान परिषद के द्वितीय सत्र 2023 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित डा0 मान सिंह यादव, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-6 का उत्तर।

**प्रश्न**

**उत्तर**

- 6.(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि सहायक आवास आयुक्त (भूमि) उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (भूमि अर्जन अनुभाग) ने अपने पत्र संख्या-568/ एल0ए0सी0/ एच0क्यू0(गा0) दिनांक 21 अक्टूबर, 2021 को पत्र के माध्यम से परिषद् की लोनी रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना अजन्तापुरम को अर्जन मुक्त किये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड गाजियाबाद-03 उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् गाजियाबाद को प्रकरण प्रेषित किया गया है?
- (ख) उक्त पत्र के क्रम में अब तक क्या कोई कार्यवाही की गयी है?
- (ग) यदि हाँ, तो क्या परिषद् की लोनी रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना अजन्तापुरम में समाविष्ट भूमि को अर्जन मुक्त करा दिया गया है?
- (घ) यदि नहीं, तो कब तक उक्त भूमि को अर्जनमुक्त करा दिया जायेगा?

जी हाँ, सहायक आवास आयुक्त (भूमि) उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् द्वारा परिषद् की लोनी रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना अजन्तापुरम में समाविष्ट खसरा संख्या-390 आईस फैक्ट्री को अर्जनमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में आख्या मॉगी गयी है।

प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या-4117/2015 योजित है, जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 28-01-2015 को 'स्टेटस को' के आदेश निर्गत किये गये हैं। प्रकरण मा0 न्यायालय में लंबित होने के कारण अग्रेतर कार्यवाही पर विचार नहीं किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

योगी आदित्यनाथ  
मुख्य मंत्री।